कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर।

पत्रांकः आईजीआरएस-02/2025 दिनांकः फरवरी 21 ,2025

सेवा में,

लोक शिकायत अनुभाग-3
(मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय)
उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

कृपया आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त पी0जी0 पोर्टल (भारत सरकार) सन्दर्भ संख्याः 60000250032940 दिनांक 14-02-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो आवेदिका श्रीमती महिमा मौर्या पत्नी प्रमोद कुमार निवासी गोड़सर सरपती थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर के शिकायती प्रा0पत्र पर जाँच/कार्यवाही कराते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि आवेदिका श्रीमती महिमा मौर्या उपरोक्त के प्रार्थना पत्र की जाँच अपर पुलिस अधीक्षक नगर, जनपद मीरजापुर द्वारा करायी गयी। जाँच अधिकारी की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

21/2/25

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद मीरजापुर।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
मीरजापुर ।

सन्दर्भ संख्या- 60000250032940 की जाँच आख्या

01 - आवेदक/शिकायतकर्ता का नाम/पिता का नाम पता व मो० नं0- श्रीमती महिमा मौर्या पत्नी श्री प्रमोद कुमार, निवासी- गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर मो0नं0- 9198010433

02 - विपक्षी का नाम पता - मनोज कुमार कुशवाहा पुत्र- रामबली निवासी गोड़सर सरपत्ती थाना विन्ध्याचल मीरजापुर मो0नं0-9792677996 ।

03 - शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत का संक्षिप्त विवरण- पुरानी रंजिश को लेकर आवेदक को विपक्षी द्वारा मारने पीटने सम्बन्धित कतिपय आरोप ।

04 - जाँच करने वाले अधिकारी का नाम व पद- अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद मीरजापुर ।

05 - जाँच का सारांश- संदर्भित प्रकरण की जांचक्रम में क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा जांच कर पूर्व में प्रेषित आख्या के अवलोकन व आवेदिका से जरिये दूरभाष वार्ता करने व अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से पाया गया कि आवेदिका महिमा मौर्या उपरोक्त पते की मूल निवासिनी हैं। आवेदिका के पति प्रमोद कुमार व विपक्षी मनोज कुमार कुशवाहा आपस मे सगे भाई है। जिनके बीच मे पुरानी रंजीश को लेकर आपस मे दिनाँक 14.09.2024 को मार पीट किया गया था। जिसके संबंध में आवेदिका महिमा मौर्या के पति प्रमोद कुमार कुशवाहा की लिखित तहरीर पर दिनांक 14.09.2024 को ही थाना विन्ध्याचल मे एनसीआर संख्या 104/2024 धारा 115(2),352 बीएनएस बनाम 1. मनोज कुमार कुशवाहा व सुभम कुशवाहा के दर्ज कराया गया जबकि इसी घटना के संबंध मे विपक्षी सरोजा देवी की तहरीर पर आवेदिका महिमा कुशवाहा व उनके पति प्रमोद कुमार के विरुद्ध थाना विन्ध्याचल में ही एनसीआर संख्या 105/2024 अन्तर्गत धारा 115(2), 352 बीएनएस दर्ज कराया गया है । जाँच के क्रम मे उभयपक्षों के विरुद्ध दिनांक 14.09.2024 को निरोधात्मक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे करते हुए चालान मा० न्यायालय किया गया था । जबकि आवेदिका महिमा मौर्या का कहना है कि विपक्षीगणों को अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया है। इस संबंध में आवेदिका महिमा मौर्या को बताया गया कि यदि आप एनसीआर की विवेचना चाहती है तो मा0 न्यायालय में वाद दाखिल कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है । **दिनांक 14-09-2024 को उक्त मार पीट की घटना पर आवेदिका की डॉक्टरी रिपोर्ट में कोई फैक्चर नहीं आया था,** आवेदिका की मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न जांच आख्या है । आवेदिका को अन्यत्र कहीं चोट नही लगने पर भी उंगली में फैक्चर दिखा कर मुकदमा लिखाना चाहती है इसी बात को लेकर आवेदिका महिमा मौर्या द्वारा मनगढंत आरोप लगा कर पुलिस के ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र दिया गया है । प्रकरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना विन्ध्याचल को निर्देशित किया गया है । आवेदिका द्वारा दिये गये प्रा० पत्र में अंकित अन्य आरोपो कि अब तक कि जाँच से पुष्टि नही हो पायी है ।

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है ।

पत्र संख्या-एसटी-पु0अ0नगर-आईजीआरएस / 2025
दिनांक- फरवरी, ,2025

अपर पुलिस अधीक्षक नगर
मीरजापुर।

Examined to mohini maurya w/o pramod maurya ag 30 years old. R/O Endsaan saupati P/O Kalana P/S [illegible] mirzapur on dated 14-05-24 at 11.25 Am.

M/I – Black mole on right side cheek.

B/B – PLD Himanshi

Injury – ① 3 cm contusion ELW at the right eyebrow.
Contusion on the left side in thumb index finger 4
② ELW at the right side shoulder.
③ abrasion at the right side
④ cmp at the back side and abrasion.

opinion – All injury are simple nature blunt by has duration about 3 hours.

[illegible signature]

R.T.I. mohini maurya

[illegible signature]

CT SCAN CENTRE सीटी स्कैन केन्द्र

निःशुल्क नैदानिक सेवाएं | FREE DIAGNOSTIC SERVICES

Dr.Akshay Bhaisingh
CONSULTANT RADIOLOGIST
MBBS, DNB, DMRD (RADIODIAGNOSIS)
Reg No : 2012/08/2290